न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	दायर दिनांक	तारीख फैसला
07 / 2024	30.01.2024	23.06.2025

1. ग्यारसीलाल पुत्र नानगराम जाति मीणा निवासी ग्राम बाढ रसूलपुरा, तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान। प्रार्थी

बनाम

1. रामकुवार पुत्र हरबक्स जाति मीणा निवासी ग्राम बाढ रसूलपुरा तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर। प्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री राजेश कुमार पारीक : — वकील प्रार्थी।
श्री महेश शर्मा :— वकील अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम बाबत नक्शा दुरूस्ती

—:निर्णय :—

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 रा0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 294/244 रकबा 0.6300है0 ग्राम बाढ रसूलपुरा में स्थित है इसी से लगती भूमि अप्रार्थी सं0 1 की भूमि खसरा नम्बर 293/244 रकबा 0.6300है0 है। उक्त दोनो भूमियां पहले शामिल थी। जिसका विधिवत बंटवारा हो चुका है एवं नक्शा भी अलग अलग बना दिया गया था। विभाजन करते समय प्रार्थी के खसरा नम्बर 244/2 अप्रार्थी सं0 1 के खसरा नम्बर 244/1 बनाये गये थें। उक्त दोनों भूमियों का पूर्व नक्शा विभाजन के बाद कायम किया गया वह सही एवं मौके अनुरूप था परन्तु गत खसरा नम्बर 244/2 के नये खसरा नम्बर 294/244 एवं खसरा नम्बर 244/1 के नये खसरा नम्बर 293/244 का नक्शा बनाने मे त्रुटि करते हुये खसरा नम्बर 294/244 का नक्शा उसी दिशा में से कम कर दिया गया और प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 294/244 की उत्तरी में भूमि को कम करके नये नक्शें में खसरा नम्बर 293/244 की सीमा में लगा दिया गया जो ऑनलाईन डिजिटल नक्शें में किया गया है जबकि पटवांरी के पास की उपलब्ध रिकार्ड मे ऐसा नही है जो कुआ खसरा नम्बर 243 है वह सम्पूर्ण खसरा नम्बर 294/244 मे होना चाहिये जबकि ऑनलाईन नक्शे में उक्त कुये का भाग खसरा नम्बर 293/244 में दर्शा रखा है जो त्रुटिपूर्ण है। जिस पर अप्रार्थी सं0 1 जबरन अतिकमण करने पर आमादा है। इस लिये नक्शा दुरूस्तनीय है। अतः प्रार्थी के खसरा नम्बर 294/244 की उत्तरी सीमा की सीमा रेखा को नक्शें में दुरूस्त करने एवं लाल रंग से दर्शित स्थान को खसरा नम्बर 294/244 में शामिल करते हुये नक्शा दुरूस्त करने के आदेश प्रदान कर ऑनलाईन रिकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश फरमाये जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से एडवोकेट श्री महेश शर्मा ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली है। जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि यह कि खसरा नम्बर 294/244 रकबा 0.6300है0 भूमि प्रार्थी की है एवं खसरा नम्बर 293/244 रकबा 0.6300है0 मिन अप्रार्थी की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी

एवं खातेदारी अनुसार मुताबिक राजस्व नक्शे अनुसार स्थित है, जिसके मुताबिक ही मिन अप्रार्थी काबिज काश्तकार रहने का अधिकारी है तथा प्रार्थी ने मिथ्या व कलोपित झूठे कथन किये है। प्रार्थी ने मिन अप्रार्थी के खातेदारी अनुसार राजस्व नक्शें की भूमि को जबरन कब्जां करने की नियत से झूठे कथन अपने प्रकरण में अंकित किया है, जिनका कोई विधिक आधार नही है। प्रार्थी की भूमि खातेदारी के राजस्व नक्शे अनुसार स्थित है। जिसके बाहर मिन अप्रार्थी की भूमि में जबरन कब्जा करने हेतु प्रार्थी ने झूठा प्रकरण बनाकर प्रस्तुत किया है, जो कि मात्र काबिले खारिज किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 243 गै0मु0चाह प्रार्थी व अप्रार्थी व अन्य सहखातेदारान का सामलाती है, जिससे प्रार्थी अकेले का कोई संबंध नही है। इसके अलावा गै0मु0चाह खसरा नम्बर 243 अप्रार्थी सं0 1 के खातेदारी भूमि के राजस्व नक्शे में स्थित है एवं उसकी गुणी की भूमि प्रार्थी के खसरा नम्बर 294/244 मे तरमीम है, जिसके अनुसार ही राजस्व नक्शा है। प्रार्थी ने मिथ्या व विधि विरूद्व कथनों सहित झूठा नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर मिन अप्रार्थी सं0 1 की भूमि में कोई दुरूस्ती करने व मिन अप्रार्थी सं0 1 की भूमि को खातेदारी के रकबा से कम करने की आवश्यकता नही है। प्रस्तुत प्रकरण को मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें तथा मिन अप्रार्थी के खातेदारी मालिकाना स्वामित्व की भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत करने में प्रार्थी की भारी भूल के विरूद्व मिन अप्रार्थी को बतौर हर्जा खर्चा मुकदमा व हरे भरे पेडो के क्षतिपूर्ति दिलवाया जावें।

अप्रार्थी सं0 2 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आरटी/2024 /605 दिनांक 08.07.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब में निवेदन किया कि मुताबिक जमाबन्दी ग्राम बाढ रसूलपुरा के आराजी खसरा नम्बर 293/244 रकबा 0.63है0, रामकुवार पुत्र हरबक्श हि0 पूर्ण जाति मीना तथा खसरा नम्बर 294/244 रकबा 0.63है0 ग्यारसीलाल पुत्र नानगराम मीना के नाम दर्ज रिकार्ड है। जरिये विभाजन आदेश क्रमांक एलआर/19/144 दिनांक 15.01.2019 मूल खसरा नम्बर 244 रकबा 1.88है0 के तीन नये खसरा नम्बर 244, 244/1, 244/2 कायम किये गये। जिनके बाद सेग्रीगेशन क्रमशः 244, 293/244, 294/244 कायम किये गये। तत्कालीन सेटलमेंट नक्शें मे विभाजन आदेश की पालना में विभाजन आदेश की पालना मे पेसिली तरमीम की हुई है। सेटलमेंट नक्शें तथा वर्तमान सेग्रीगेशन नक्शा तरमीम की हुई है। सेटलमेंट नक्शें तथा वर्तमान सेग्रीगेशन नक्शा तरमीम का परस्पर आच्छादन किये जाने पर खसरा नम्बर 293/244 व 294/244 की तरमीम में कोई अन्तर नही आता है तथा खसरा नम्बर 243 किस्म गै0मु0चाह की स्थिति सेटलमेट नक्शा और सेग्रीगेशन नक्शें में समान है। खसरा नम्बर 294/244 की उत्तरी सीमा पूर्व दिशा की तरफ नाप किये जाने पर खसरा नम्बर 293/244 से लगभग 04 मीटर अधिक तथा पश्चिमी दिशा की ओर लगभग 04 मीटर कम है।

वकील उभय पक्षों व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र तथा अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम बाढ रसूलपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 294/244 की तरमीम को मुताबिक विभाजन नक्शा अनुसार दुरुस्त कर नवीन नक्शा कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 23.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर